

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/ 2560

धमतरी, दिनांक: 12/05/2022

प्रति,

कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग धमतरी

संभाग-धमतरी (छ.ग.)

विषय :- धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD (B&R) Division Dhamtari द्वारा Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli- Road i/c culvert and bridge work. Total length 35 Km. within is proposed 23.715 Km. length. Forest land diversion. हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. पंजीयन बाबत।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्र./व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-921/1008 दिनांक 04.05.2022

2. आपका ज्ञापन क्रमांक 2079/वलेलि दिनांक 05.05.2022

⊗ ⊗ ⊗

विषयांकित संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्र./व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण रकबा 37.973 हे. हेतु लोक निर्माण विभाग धमतरी को वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रसंस्करण के लिये पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022 आबंटित किया गया है। संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपके द्वारा आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति एवं पंजीयन शुल्क राशि रु. 6,000/- एवं प्रसंस्करण शुल्क राशि रु. 18,000/- कुल राशि रु. 24,000/- का डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा किया गया है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रकरण के प्रसंस्करण हेतु 44 बिन्दु के नवीन चेक लिस्ट अनुसार मूल प्रति में प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ध्यान रहे प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु 90 दिवस का समय-सीमा निर्धारित है।

वर्तमान में किसी भी वनक्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

संलग्न :- 44 बिन्दु का नवीन चेक लिस्ट।

कामंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

धमतरी, दिनांक: 12/05/2022

पृ० क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/ 2561

प्रतिलिपि :- 01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्र./व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

वन संरक्षण अधिनियम - 1980
अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों हेतु आवश्यक चेक लिस्ट

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ. क्र.
	GOL (MOEF) से संबंधित अभिलेख	
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	
3	वन क्षेत्र विवरण	
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर	
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	
7	प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव	
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी) नए यूनिजन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है।	
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र	
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10.000 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।	
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र -अ एवं ब में)	
13	कास्ट / बेंचिफिट एनालिसिस	
14	चयनित गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं शील सहित आवेगा)	
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दसों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 7 वर्षीय मय उपचार, मानचित्र अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	
19	अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण - पत्र	
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	
23	रिक्लेमेशन प्लान	
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)	
25	व्यवस्थापन प्लान	
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	

27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)	
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृति प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में	
31	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृति प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में	
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान ,वन प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित सीलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /F.NO.11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009) ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resoluton) आवश्यक रूप से संलग्न करें	
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)	
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	
37	clearance under FC Act, 1980: Deposition of Funds with the AD -Hoc CAMPA : Remittances to Precede 2 nd Stage Clearance. (भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,क्षेत्रीय कार्यालय ,भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) MEETING 3068 दिनांक 12.05.2011)	
38	'A detailed note on soil productivity or the lack of it' (भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,क्षेत्रीय कार्यालय ,भोपाल का पत्र क्रमांक 6 MPC 013/2008-BHO/357 दिनांक 24.02.2010)	
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 2-1/2003-FC दिनांक 06.02.2011)	
40	Diversion of large area (more then 500 Ha .) of forest land for mining other Non - Forestry purpose under the Forest (conservation) Act 1980 -stipualation of Additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)	
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख	
41	पंजीयन क्रमांक -पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन ,वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)	
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वर संरक्षक (वन्य प्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार ,क्षेत्रीय कार्यालय ,भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CHC 022/2010-Bho/964 दिनांक 24.05.2010)	
44	प्रस्ताव में अन्य (misc) कमियों का विवरण	-